6

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक : 10.11.26

संख्याः1/सी0–1029/2025–सा0प्र0– 20692 /श्री पंकज कुमार पाल, भा.प्र.से. (बी एचः 2002), सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 01.01.2027 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से उच्च प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान स्तर–15 –₹1,82,200–2,24,100/–) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10/11/26

(संजय कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : : 1/सी0–1029/2025 –सा0 प्र0– 20692 /पटना–15, दिनांकः 10.11.26

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/ महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/संबंधित विभाग/ संबंधित पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना /मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना /आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/ सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–1 एवं प्रशाखा–6) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैंः–

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

10/11/26

सरकार के विशेष सचिव